रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2005/माघ 13, 1926

No. 103] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2005/MAGHA 13, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

(आयकर)

का.आ. 121(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उपखण्ड (iv) की मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वित्त वर्ष 2003-2004 के दौरान मैसर्स हाउसिंग एण्ड अर्बन डिवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए 001 से 500 तक विशिष्ट संख्या वाले कुल पचास करोड़ रुपए के प्रत्येक दस लाख रुपए के अंकित मूल्य वाले और आबंटन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 5.15% ब्याज दर वाले " 5.15% हाउसिंग एण्ड अर्बन डिवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कर मुक्त बंधपत्रों शृंखला-XXXIV" को उक्त मद के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है :

बशर्ते कि उक्त मद के अन्तर्गत यह लाभ तभी ग्राह्य होगा यदि ऐसे बंधपत्रों का धारक अपना नाम एवं धृति उक्त कार्पोरेशन के साथ पंजीकृत कराएगा/कराएगी।

[अधिसूचना सं. 25/2005/फा. सं. 178/44/2004-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2005

(INCOME TAX)

S.O. 121(E).—In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies "5.15% Housing and Urban Development Corporation Limited Taxfree Bonds Series-XXXIV" aggregating rupees fifty crores, having a face value of rupees ten lakhs

each and carrying interest rate of 5.15% per annum for a period of 10 years from the date of allotment, bearing distinctive numbers from 001 to 500, issued by M/s. Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, during the financial year 2003-04, for the purpose of the said item :

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his or her name and the holding with the said Corporation.

[Notification No. 25/2005/F. No. 178/44/2004-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.